निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 भाद्र 1939 (श0)
(सं0 पटना 783) पटना, शुक्रवार, 1 सितम्बर 2017

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
1 सितम्बर 2017

एस० ओ० 141 दिनांक 1 सितम्बर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये दिनांक 27 जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में,–

(i) दिनांक 22 जुलाई, 2017 के प्रभाव से, नियम 24 के उपनियम (4) में, ''नियत तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर'' शब्दों के स्थान पर, ''30 सितंबर, 2017 को या उससे पूर्व'' अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) नियम 34 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :–

''**34. मूल्य के अवधारण के लिए भारतीय रुपए से भिन्न मुद्रा के विनिमय की दर**–

(1) कराधेय माल के मूल्य का अवधारण करने के लिए विनिमय की दर अधिनियम की धारा 12 के निबंधनों में ऐसे मालों की पूर्ति के समय की तारीख के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित विनिमय की लागू दर होगी।

(2) कराधेय सेवाओं के मूल्य का अवधारण करने के लिए विनिमय की दर अधिनियम की धारा 13 के निबंधनों में ऐसी सेवाओं की पूर्ति के समय की तारीख को साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अवधारित लागू विनिमय दर होगी।'';

(iii) दिनांक 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से, नियम 44 के उपनियम (2) और उपनियम (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे, यथा :–

''(2) उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट रकम का केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए अवधारण पृथकतः किया जाएगा।

(3) जहां स्टॉक में रखे गए इनपुट से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं हैं, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यथास्थिति, धारा 18 की उपधारा (4) या धारा 29 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से किसी घटना के होने की प्रभावी तारीख को मालों की विद्यमान बाजार कीमत के आधार पर उपनियम (1) के अधीन रकम का आकलन करेगा।'';

(iv) नियम 46 का तीसरा परंतुक निम्नलिखित परंतुक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :–
''परंतु यह भी कि माल या सेवाओं के निर्यात की दशा में बीजक पर, यथास्थिति, ''निर्यात/एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को एकीकृत कर के संदाय पर प्राधिकृत प्रचालनों के लिए पूर्ति'' या ''निर्यात/एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को एकीकृत कर का संदाय किए बिना बंधपत्र या वचनबंध के अधीन प्राधिकृत प्रचालनों के लिए पूर्ति'' का पृष्ठांकन होगा और खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के स्थान पर निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, यथा :–

(i) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता ;

(ii) परिदान का पता ; और

(iii) गंतव्य देश का नाम :'';

(v) दिनांक 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से, नियम 61 का उपनियम (5) निम्नलिखित उपनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :–

''(5) जहां धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–1** और धारा 38 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–2** में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा का विस्तार किया गया है और ऐसी परिस्थितियां हैं, तो आयुक्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि रिटर्न इलैक्ट्रानिक रूप में **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) जहां **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में कोई रिटर्न **प्ररूप जीएसटीआर–2** में ब्यौरे प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है–

(क) **प्ररूप जीएसटीआर–3** में रिटर्न का **भाग–क प्ररूप जीएसटीआर–1, प्ररूप जीएसटीआर– 2** के माध्यम से प्रस्तुत सूचना के और पूर्ववर्ती कर अवधियों के अन्य दायित्वों के आधार पर इलैक्ट्रानिकी रूप से सृजित किया जाएगा तथा उक्त रिटर्न का **भाग–ख** कर अवधि के संबंध में प्रस्तुत **प्ररूप जीएसटीआर – 3ख** के आधार पर इलैक्ट्रानिकी रूप से सृजित किया जाएगा;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर – 3ख** में रिटर्न और **प्ररूप जीएसटीआर – 3** में रिटर्न के बीच विसंगतियों, यदि कोई हों, के आधार पर **प्ररूप जीएसटीआर – 3** में रिटर्न **भाग–ख** को उपांतरित करेगा और अपने कर दायित्वों, यदि कोई हों, का निर्वहन करेगा ;

(ग) जहां **प्ररूप जीएसटीआर – 3** में कर प्रत्यय की रकम **प्ररूप जीएसटीआर – 3(ख)** के निबंधनों में इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक हो जाती है तो अतिरिक्त रकम का रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में प्रत्यय किया जाएगा।'';

(vi) दिनांक 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से, नियम 83 के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में, शब्द ''उपधारा'' शब्द ''उपनियम'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vii) दिनांक 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से, नियम 89 के उपनियम (4) के खंड (ड.) में, शब्द ''उपधारा'' शब्द ''खंड'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(viii) दिनांक 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से, **प्ररूप जीएसटी टीआरएएन – 1** में क्रम सं. 7 में, सारणी (क) में स्तंभ (2) का शीर्ष ''यथा लागू एचएसएन'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ix) दिनांक 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से, **प्ररूप जीएसटी टीआरएएन – 2** में क्रम सं. 4 और 5 में, सारणी में स्तंभ (1) का शीर्ष ''यथा लागू एचएसएन'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

[(सं० बिक्री–कर/जी0एस0टी0/विविध–10/2017–3237)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

1 सितम्बर 2017

एस० ओ० 142, एस० ओ० 141 दिनांक 1 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं० बिक्री–कर/जी0एस0टी0/विविध–10/2017–3237)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

The 1st September 2017

S.O.141 dated 1st September 2017— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017,:-

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) Save as otherwise provided, these shall come into force with effect from 27th July, 2017.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017,

(i) With effect from 22nd July, 2017, in sub-rule (4), of rule 24, for the words "within a period of thirty days from the appointed day", shall be substituted by the words and figures "on or before 30th September, 2017."

(ii) Rule 34, shall be substituted, by the following namely:-

"**34. Rate of exchange of currency, other than Indian rupees, for determination of value**.—

(1) The rate of exchange for determination of value of taxable goods shall be the applicable rate of exchange as notified by the Board under section 14 of the Customs Act, 1962 for the date of time of supply of such goods in terms of section 12 of the Act.

(2) The rate of exchange for determination of value of taxable services shall be the applicable rate of exchange determined as per the generally accepted accounting principles for the date of time of supply of such services in terms of section 13 of the Act.";

(iii) With effect from 1st July, 2017, sub-rules (2) and (3), of rule 44, shall be substituted by the following namely:—

"(2) The amount, as specified in sub-rule (1) shall be determined separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax.

(3) Where the tax invoices related to the inputs held in stock are not available, the registered person shall estimate the amount under sub-rule (1) based on the prevailing market price of the goods on the effective date of the occurrence of any of the events specified in sub-section (4) of section 18 or, as the case may be, sub-section (5) of section 29.";

(iv) The third proviso, of rule 46, shall be substituted by the following proviso namely:—

"Provided also that in the case of the export of goods or services, the invoice shall carry an endorsement "SUPPLY MEANT FOR EXPORT/SUPPLY TO SEZ UNIT OR SEZ DEVELOPER FOR AUTHORISED OPERATIONS ON PAYMENT OF INTEGRATED TAX" or "SUPPLY MEANT FOR EXPORT/SUPPLY TO SEZ UNIT OR SEZ DEVELOPER FOR AUTHORISED OPERATIONS UNDER BOND OR LETTER OF UNDERTAKING WITHOUT PAYMENT OF INTEGRATED TAX", as the case may be, and shall, in lieu of the details specified in clause (e), contain the following details, namely,-

(i) name and address of the recipient;

(ii) address of delivery; and

(iii) name of the country of destination:";

(v) With effect from 1st July, 2017, sub-rule (5) of rule 61 shall be substituted by the following namely:-

"(5) Where the time limit for furnishing of details in FORM GSTR-1 under section 37 and in FORM GSTR-2 under section 38 has been extended and the circumstances so warrant, the Commissioner may, by notification, specify that return shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(6) Where a return in FORM GSTR-3B has been furnished, after the due date for furnishing of details in FORM GSTR-2—

(a) Part A of the return in FORM GSTR-3 shall be electronically generated on the basis of information furnished through FORM GSTR-1, FORM GSTR-2 and based on other liabilities of preceding tax periods and PART B of the said return shall be electronically generated on the basis of the return in FORM GSTR-3B furnished in respect of the tax period;

(b) the registered person shall modify Part B of the return in FORM GSTR-3 based on the discrepancies, if any, between the return in FORM GSTR-3B and the return in FORM GSTR-3 and discharge his tax and other liabilities, if any;

(c) where the amount of input tax credit in FORM GSTR-3 exceeds the amount of input tax credit in terms of FORM GSTR-3B, the additional amount shall be credited to the electronic credit ledger of the registered person.";

(vi) With effect from 1st July, 2017, in the second proviso of sub-rule (3) of Rule 83, the words "sub-section" shall be substituted by the words "sub-rule";

(vii) With effect from 1st July, 2017, in clause (E) of sub-rule (4) of Rule 89, the words "sub-section" shall be substituted by the word "clause";

(viii) In FORM GST TRAN-1, with effect from 1st July, 2017, in Sl. No. 7, in Table (a), the heading of column (2) shall be substituted by the heading "HSN as applicable";

(ix) In FORM GST TRAN-2, with effect from 1st July, 2017, in Sl. No. 4 and 5, in the Table, the heading of column (1) shall be substituted by the heading "HSN as applicable".

[(No. Bikri-kar/GST/Vividh-10/2017-3237)]

By order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण)783+571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in